

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 230]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 1977/आषाढ़ 10, 1899

No. 230]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 1977/ASADHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 1st July 1977

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table below, being goods mentioned in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the said First Schedule), from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the said Finance Act as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table:

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the auxiliary duty of customs in respect of the goods referred to in this notification

THE TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of auxiliary duty of Customs
(1)	(2)	(3)
1.	Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force is 60 per cent <i>ad valorem</i> or more but less than 100 per cent <i>ad valorem</i> .	Fifteen per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2.	Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force is nil or less than 60 per cent <i>ad valorem</i> .	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3.	Goods in respect of which the duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is— (i) at a specific rate; or (ii) at a specific rate or <i>ad valorem</i> rate, whichever is less or higher, as the case may be, or (iii) at a specific rate and <i>ad valorem</i> rate.	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)
4.	Crude Petroleum, falling under Heading No. 27 09 of the said First Schedule.	Rs. 9.50 per metric tonne.

Explanation.—For the purpose of Sl Nos 1 and 2 in the above Table, the expression "the rate of duty of Customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India, for the time being in force", in relation to any article liable to two or more different rates of duty by reason of the country of origin of that article, means that rate of duty which is the highest of those rates.

[No. 120-Cus/F. No. 355/243/77-Cus. I.]

राजस्व और बॉकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचनाएं—

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1977

सा० का० नि० 454 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान

हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट मामलों को, जोकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुसूची कहा गया है) में उल्लिखित माल है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क के उतर्न भाग से जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात भारत सरकार को तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के अधीन, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट माल की बाबत सहायक सीमाशुल्क से मंजूर की गई छूट पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सारणी

क्रम सं०	माल का वर्णन	सहायक सीमाशुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	वे माल जिनकी बाबत भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर मूल्य का 60 प्रतिशत या अधिक है किन्तु मूल्य के 100 प्रतिशत से कम है।	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत।
2.	वे माल जिनकी बाबत भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर शून्य है या मूल्य के 60 प्रतिशत से कम है।	सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित माल के मूल्य का पांच प्रतिशत।
3.	वे माल बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क—	सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित माल के मूल्य का पांच प्रतिशत
	(i) विनिर्दिष्ट दर पर; अथवा	
	(ii) विनिर्दिष्ट दर अथवा मूल्यानुसार दर यथा स्थिति दोनों में से जो भी कम या उच्चतर हो; अथवा	
	(iii) विनिर्दिष्ट दर पर तथा मूल्यानुसार दर पर, है।	
4.	उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 27.09 के अन्तर्गत सम्मिलित कच्चा पेट्रोलियम।	9.50 रु० प्रति मीटरी टन

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त सारणी में क्रम सं० 1 और 2 के प्रयोजन के लिये 'तत्समय प्रवृत्त "भारत सरकार की सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर" पद से, ऐसी किसी वस्तु के संबंध में जो उक्त वस्तु के मूल देश के आधार पर दो या अधिक विभिन्न दरों से प्रभाव्य है शुल्क की वह दर अभिप्रेत है जो उन दरों में उच्चतम हो।

[सं० 120-सी०शु० फा० सं० 355 243 77-सी०शु० 1]

G.S.R. 455(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking specified in column (2) of the Table annexed hereto shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Serial No.	Notification No. and date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1	124-Customs, dated 2nd August, 1976	For the words "from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule" the words and figures "from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 20 per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted
2	127-Customs, dated the 2nd August 1976	For the figures "40" the figures "55" shall be substituted.
3	165-Customs, dated 2nd August, 1976	For the figures "40", the figures "55" shall be substituted
4	173-Customs, dated 2nd August, 1976	For the words "from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule" the words and figures "from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule as is in excess of 15 per cent <i>ad valorem</i> ," shall be substituted.
5	174-Customs, dated 2nd August, 1976	For the words, figures and brackets "from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)", the words, figures and brackets "from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of 15 per cent <i>ad valorem</i> " shall be substituted
6	209-Customs, dated 2nd August, 1976	For the words, figures and brackets "from one-half of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of

(1)

(2)

(3)

1975)", the words, figures and brackets "from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of 70 percent *ad valorem*" shall be substituted.

7. 210—Customs, dated 2nd August, 1976 For the words, figures and brackets "from one-half of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)" the words figures and brackets "from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of 70 percent *ad valorem*" shall be substituted.
8. 217—Customs, dated 2nd August, 1976 . For the figures "60", the figures "80" shall be substituted.
9. 218—Customs, dated 2nd August, 1976 . For the figures "40" the figures "55" shall be substituted.
10. 220—Customs, dated 2nd August, 1976 . For the Figures "60", the figures "75" shall be substituted.
11. 225—Customs, dated 2nd August, 1976 . For the figures "40", the figures "55" shall be substituted.
12. 226—Customs, dated 2nd August, 1976 . For the figures "70", the figures "90" shall be substituted.
13. 229—Customs, dated 2nd August 1976 . For the Figures "60", the figures "75" shall be substituted.
14. 230—Customs, 2nd August, 1976 . For the figures "60", the figures "75" shall be substituted.
15. 243—Customs, dated 2nd August, 1976] . For the figures "60", the figures "75" shall be substituted.
16. 279—Customs, dated 2nd August, 1976] . For the figures "50", the figures "70" shall be substituted.
17. 288—Customs, dated 2nd August, 1976] . For the figures "40", the figures "55" shall be substituted.
18. 292—Customs, dated 2nd August 1976 . For the figures "40", the figures "60" shall be substituted.

[No 121-Cus./F No 355/245/77-Cus. I]

सो० का० नि० 455(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, निदेश करती है कि भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की वे अधिसूचनाएँ जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित अथवा और आगे संशोधित की जाएँगी।

सारणी

क्रम सं०	सीमा-शुल्क अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	124-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्-ग्रहणीय सम्पूर्ण शुल्क से” शब्दों के स्थान पर, “उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से जो मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक है” शब्द और अंक रखे जाएंगे।
2.	127-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“40” अंकों के स्थान पर, “55” अंक रखे जायेंगे।
3.	165-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“40” अंकों के स्थान पर, “55” अंक रखे जायेंगे।
4.	173-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्-ग्रहणीय सम्पूर्ण शुल्क से” शब्दों के स्थान पर, “उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्-ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जो मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक है” शब्द और अंक रखे जायेंगे।
5.	174-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जो मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक है शब्द” कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे।
6.	209-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्-ग्रहणीय सीमाशुल्क के आधे से” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “सीमाशुल्क टैरिफ अधि-नियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से जो मूल्य के 70 प्रतिशत से अधिक है” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे।

(1)	(3)	(3)
7. 210-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्-ग्रहणीय सीमा-शुल्क के आधे से” शब्दों, अको और कोष्ठकों के स्थान पर, “सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से जो मूल्य के 70 प्रतिशत से अधिक हैं” शब्द, अक और कोष्ठक रखे जायेंगे।	
8. 217-सीमा-शुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“60” अको के स्थान पर, “80” अक रख जायेगी।	
9. 218-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“40” अको के स्थान पर, “55” अक रखे जायेगे।	
10. 220-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“60” अको के स्थान पर, “75” अक रखे जायेगे।	
11. 225-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“40” अको के स्थान पर, “55” अक रखे जायेगे।	
12. 226-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“70” अको के स्थान पर “90” अक रखे जायेगे।	
13. 229-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“60” अको के स्थान पर, “75” अक रखे जायेगे।	
14. 230-सीमाशुल्क तारीख 2 अग त, 1976	“60” अको के स्थान पर, “75” अक रखे जायेगे।	
15. 243-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“60” अको के स्थान पर, “75” अक रखे जायेगे।	
16. 249-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“50” अको के स्थान पर “70” अक रखे जायेगे।	
17. 288-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“40” अको के स्थान पर, “55” अक रखे जायेगे।	
18. 292-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976	“40” अको के स्थान पर, “60” अक रखे जायेगे।	

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling within the Chapter or Chapters of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, from the whole of auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 3 of the second mentioned Act.

TABLE

Serial No.	Chapter No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	7	Pulses including broken pulses.
2.	10	Grains including broken grains.
3.	25	Salt.
4.	27	Mineral grease, including petroleum jelly, high speed diesel oil, and goods falling under sub-heading Nos. (2), (3), (4), (6), (7), and (8) of Heading No. 27.10.
5.	37	Film strips and film slides for educational purposes.
6.	40	Goods falling under Sub-heading No (3) of Heading No. 40.05/17 ~~18~~ 19.
7.	49	Paper money, books, printed, including covers for printed books, maps, charts and plans, proofs, music, manuscripts, and illustrations, specially made for binding in books.
8.	49 or 99	Specimens, models and wall diagrams, illustrative of natural science, medals antique coins and postage stamps, whether used or unused.
9.	55	Cotton, raw.
10.	59	Goods falling under Heading No 59.16/17.
11.	71	Industrial diamonds.
12.	72	Current coin of the Government of India.
13.	84	Goods falling under Heading Nos. 84.01/02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08 (1), 84.09, 84.10 (1), 84.11 (1), 84.11 (4), 84.13, 84.14, 84.15 (1), 84.16, 84.17 (1), 84.18 (1), 84.22, 84.23, 84.24 (1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30 (2), 84.31, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37 (1), 84.38 (1), 84.39, 84.40 (1), 84.41 (1), 84.42 (1), 84.42 (2), 84.43, 84.44, 84.45/48, 84.49, 84.56, 84.57, 84.59 (2) and 84.66.

(1)	(2)	(3)
14. 84	.	(1) Stationary or industrial internal combustion piston engines and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with motor vehicles other than those specified in item (2) below (2) Internal combustion piston engines for industrial and agricultural tractors and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with other motor vehicles. (3) Marine engines and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with motor vehicles other than those specified in item (2) above
15. 85	.	Goods falling under Heading Nos. 85.01(1), 85.02(1), 85.11(1), 85.18/27(3) and 85.18/27(7).
16. 86	.	Locomotives and tenders and parts thereof.
17. 87	.	Tractors and fire-engines, and parts thereof.
18. 98	.	Composing sticks.

[No 122-Cu/F No 355/244/77-Cus. I]

सा० का० नि० 456(ब).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उस अध्याय या उन अध्यायों के अन्तर्गत सम्मिलित जो इससे उपाबद्ध, सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उन मालों को जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सहायक सीमा शुल्क से छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	अध्याय सं०	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	7	दालें, जिनके अन्तर्गत दली हुई दालें भी हैं।
2.	10	अनाज, जिसके अन्तर्गत दला हुआ अनाज भी है।
3.	25	नमक।

(1) (2)

(3)

4. 27 खनिज ग्रीज, जिसके अन्तर्गत पैट्रोलियम जैली, हाई स्पीड डीजल तेल और शीषक स० 27.10 के उपशीर्ष स० (2), (3), (4), (6), (7) और (8) के अन्तर्गत सम्मिलित माल भी है।
5. 37 शैक्षिक प्रयोजनों के लिये फिल्म स्ट्रिप और फिल्म स्लाइड।
6. 40 शीर्ष स० 40.05/16 की उपशीर्ष स० (3) के अन्तर्गत सम्मिलित माल।
7. 49 करन्सी नोट, पुस्तकें, मुद्रित, जिसके अन्तर्गत मुद्रित पुस्तकों के लिये कवर, नक्शे, चार्ट और रेखांक, प्रूफ संगीत, पांडुलिपियां, और पुस्तकों की दिग्दर्शाजी के लिये विशेष रूप से बनाये गये चित्र भी हैं।
8. 49 नमून, माडल और दीवार-आरेख, प्राकृतिक विज्ञान के चित्र, मंडल प्राचीन या मिक्के और डाक टिकटें चाहे प्रयुक्त या अप्रयुक्त।
99
9. 55 कच्ची कपास।
10. 59 शीर्ष स० 50.16 17 के अन्तर्गत सम्मिलित माल।
11. 71 औद्योगिक हथियार।
12. 72 भारत सरकार के चालू मिक्के।
13. 84 शीर्ष स० 84.01 02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08 (1) 84.09, 84.10(1), 84.11(1), 84.11(4), 84.13, 84.14, 84.15(1), 84.16, 84.17(1), 84.18(1) 84.22, 84.23, 84.24(1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.30(2), 84.31, 84.32, 84.33, 84.34 84.35, 84.36, 84.37(1), 84.38(1), 84.39, 84.40(1), 84.41(1), 84.42(1), 84.42(2), 84.43, 84.44, 84.45 48, 84.49, 84.56 84.57, 84.59(2), 84.66।
14. 84 1. स्थायी या औद्योगिक अन्तर्दहन पिस्टन इंजन और उनके पुर्जे (पार्ट) जिसमें वे पुर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो नीचे क्रम स० 2 के सामने विनिर्दिष्ट से भिन्न मोटरयानों में प्रयोग के लिये के साथ बदली किये जा सकते हैं।
2 अन्तर्गत पिस्टन इंजन जो औद्योगिक और कृषि ट्रैक्टरों के लिये हों और उनके पुर्जे जिसमें वे पुर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो अन्य मोटरयानों में प्रयोग के लिये बदली किये जा सकते हैं,
3. समुद्री इंजन और उनके पुर्जे (पार्ट) जिसमें वे पुर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो ऊपर क्रम स० 2 में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोटरयानों में प्रयोग के लिये बदली किये जा सकते हैं।

(1)	(2)	(3)
15.	85	शीर्ष स० 85.01(1), 85.02(1), 85.11(1), 85.18 27(3) और 85.18 27(7) के अन्तर्गत सम्मिलित माल ।
16	86	लोकोमोटिव और टैंडर और उन के पुर्जे ।
17.	87	ट्रेक्टर और अग्निशामक इंजन और उनके पुर्जे ।
18.	98	मुद्राक्षर जमाने की पटरिया ।

[स० 122-सी० शु० फा० स० 355, 244, 77-सी० शु०-1]

G.S.R. 457(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962, (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 3 of the Finance Act, 1977 (11 of 1977), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods which are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance or in the Department of Revenue and Banking, specified in the Schedule below, from payment of the auxiliary duty of customs leviable on such goods under sub-section (1) of section 3 of the said Finance Act.

THE SCHEDULE

1. No 2-Customs, dated the 10th January, 1953.
2. No. 43-Customs, dated the 6th June, 1953.
- 3 No 136-Customs dated the 30th November, 1956.
4. No 3-Customs, dated the 8th January, 1957
5. No 113-Customs, dated the 16th May, 1957.
- 6 No 220-Customs, dated the 12th October, 1957.
- 7 No 65-Customs, dated the 22nd February 1958.
- 8 No 67-Customs, dated the 22nd February, 1958.
9. No 106-Customs, dated the 29th March, 1958
10. No. 151-Customs, dated the 10th May, 1958.
11. No. 259-Customs, dated the 11th October, 1958.
12. No 260-Customs, dated the 11th October, 1958.
- 13 No 261-Customs, dated the 11th October, 1958.
- 14 No. 262-Customs, dated the 11th October, 1958
15. No 269-Customs, dated the 25th October, 1958.
16. No. 271-Customs, dated the 25th October, 1958.
17. No 273-Customs, dated the 25th October, 1958
- 18 No 275-Customs, dated the 25th October, 1958
19. No 276-Customs, dated the 25th October, 1958
- 20 No. 84-Customs, dated the 13th August, 1960.
21. No. 117-Customs, dated the 13th October, 1961.
22. No 132-Customs, dated the 9th December, 1961.
- 23 No. 26-Customs dated the 19th February, 1962
24. No 136-Customs, dated the 29th September, 1962.
25. No 168-Customs, dated the 8th November, 1962.
26. No. 169-Customs, dated the 8th November, 1962
- 27 No. 170-Customs, dated the 8th November, 1962.

28. No. 43-Customs, dated the 1st February, 1963.
29. No. 92-Customs, dated the 9th March, 1963.
30. No. 180-Customs, dated the 20th July, 1963.
31. No. 202-Customs, dated the 24th August, 1963
32. No. 210-Customs, dated the 7th September, 1963
33. No. 10-Customs, dated the 16th January, 1965.
34. No 163-Customs, dated the 16th October, 1965
35. No. 67-Customs, dated the 30th April, 1966
36. No. 135-Customs, dated the 20th June, 1966.
37. No. 174-Customs, dated the 24th September, 1966
38. No. 85-Customs, dated the 5th August, 1967
39. No. 98-Customs, dated the 21st June, 1969
- 40 No 107-Customs, dated the 19th July, 1969
41. No 80-Customs, dated the 29th August, 1969.
42. No 103-Customs, dated the 5th December, 1970.
43. No. 36-Customs, dated the 1st May, 1971
44. No. 84-Customs, dated the 11th September, 1971
- 45 No. 37-Customs, dated the 18th March, 1972.
- 46 No 46-Customs, dated the 25th May, 1974
- 47 No 79-Customs, dated the 16th October, 1974
48. No. 27-Customs, dated the 6th May, 1975
49. No 124-Customs, dated the 2nd August, 1976
50. No 125-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 51 No 127-Customs, dated the 2nd August, 1976.
52. No 130-Customs, dated the 2nd August, 1976
53. No 134-Customs, dated the 2nd August, 1976
54. No 141-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 55 No 146-Customs, dated the 2nd August 1976
- 56 No 150-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 57 No 154-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 58 No. 158-Customs dated the 2nd August 1976
- 59 No. 160-Customs dated the 2nd August 1976
- 60 No. 161-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 61 No 165-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 62 No. 166-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 63 No 173-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 64 No 174-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 65 No 182-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 66 No 183-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 67 No 184-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 68 No 185-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 69 No 186-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 70 No. 187-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 71 No 188-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 72 No 189-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 73 No. 191-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 74 No 192-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 75 No. 193-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 76 No. 194-Customs, dated the 2nd August, 1976
77. No 195-Customs, dated the 2nd August, 1976.

- 78 No 197-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 79 No 198-Customs, dated the 2nd August, 1976.
80. No 201-Customs, dated the 2nd August, 1976
81. No 202-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 82 No. 203-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 83 No. 205-Customs, dated the 2nd August, 1976.
84. No. 206-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 85 No 207-Customs, dated the 2nd August, 1976
86. No. 208-Customs, dated the 2nd August, 1976
87. No 209-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 88 No. 210-Customs, dated the 2nd August, 1976
89. No 211-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 90 No. 213-Customs, dated the 2nd August, 1976
91. No. 215-Customs, dated the 2nd August, 1976.
92. No 216-Customs, dated the 2nd August, 1976
93. No. 217-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 94 No 218-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 95 No 220-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 96 No. 222-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 97 No. 223-Customs, dated the 2nd August, 1976
98. No 225-Customs, dated the 2nd August, 1976.
99. No 226-Customs, dated the 2nd August, 1976
100. No 229-Customs, dated the 2nd August, 1976.
101. No. 230-Customs, dated the 2nd August, 1976.
102. No 236-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 103 No. 237-Customs, dated the 2nd August, 1976.
104. No 238-Customs, dated the 2nd August, 1976.
105. No. 241-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 106 No. 242-Customs, dated the 2nd August, 1976.
107. No. 243-Customs, dated the 2nd August, 1976.
108. No 246-Customs, dated the 2nd August, 1976.
109. No. 248-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 110 No 249-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 111 No. 250-Customs, dated the 2nd August 1976
- 112 No 260-Customs, dated the 2nd August, 1976.
113. No. 272-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 114 No. 288-Customs, dated the 2nd August, 1976.
115. No. 290-Customs, dated the 2nd August, 1976.
116. No 292-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 117 No 294-Customs, dated the 2nd August, 1976
118. No. 296-Customs dated the 2nd August, 1976.
- 119 No. 302-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 120 No 309-Customs, dated the 2nd August, 1976.
121. No 310-Customs, dated the 2nd August, 1976
- 122 No. 311-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 123 No 313-Customs dated the 2nd August, 1976
124. No 315-Customs, dated the 2nd August, 1976.
- 125 No 316-Customs, dated the 2nd August 1976.
126. No. 319-Customs, dated the 2nd August, 1976
127. No. 320-Customs, dated the 2nd August, 1976.

128. No. 322-Customs, dated the 2nd August, 1976.
129. No. 324-Customs, dated the 2nd August, 1976.
130. No. 347-Customs, dated the 2nd August, 1976
131. No. 350-Customs, dated the 2nd August, 1976
132. No. 388-Customs, dated the 2nd August, 1976.
133. No. 395-Customs, dated the 2nd August, 1976.
134. No. 4-Customs, dated the 6th January, 1977.
135. No. 7-Customs, dated the 11th January, 1977
136. No. 11-Customs, dated the 15th January, 1977.
137. No. 23-Customs, dated the 8th February, 1977
138. No. 68-Customs, dated the 6th June, 1977
139. No. 71-Customs, dated the 18th June, 1977.
140. No. 72-Customs, dated the 18th June, 1977.
141. No. 78-Customs, dated the 18th June, 1977.
142. No. 104-Customs, dated the 1st July, 1977.
143. No. 105-Customs, dated the 1st July, 1977.
144. No. 124-Customs, dated the 1st July, 1977
145. No. 125-Customs, dated the 1st July, 1977
146. No. 126-Customs, dated the 1st July, 1977
147. No. 127-Customs, dated the 1st July, 1977
148. No. 128-Customs, dated the 1st July, 1977.
149. No. 129-Customs, dated the 1st July, 1977
150. No. 130-Customs, dated the 1st July, 1977
151. No. 131-Customs, dated the 1st July, 1977
152. No. 132-Customs, dated the 1st July, 1977
153. No. 133-Customs, dated the 1st July, 1977.
154. No. 134-Customs, dated the 1st July, 1977
155. No. 135-Customs, dated the 1st July, 1977.

[No. 123-Cus / F. No. 355/246/77-Cus.]

सा० का० नि० 457(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1977 (1977 का 11) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित आवश्यक है, उन मालों को जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण सीमाशुल्क से या उसके भाग से, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय या राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की उन अधिसूचनाओं के आधार पर जो नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, छूट प्राप्त हैं, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे मालों पर उवग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क के सदाय से छूट देती है।

अनुसूची

1. सं० 2-सी० शु०, तारीख 10 जनवरी, 1953
2. सं० 43-सी० शु०, तारीख 6 जून, 1953
3. सं० 136-सी० शु०, तारीख 30 नवम्बर, 1956
4. सं० 3-सी० शु०, तारीख 8 जनवरी, 1957

5. सं० 113-सी०शु०, तारीख 16 मई, 1957
6. सं० 220-सी०शु०, तारीख, 12 अक्टूबर, 1957
7. सं० 65-सी०शु०, तारीख 22 फरवरी, 1958
8. सं० 67-सी०शु०, तारीख 22 फरवरी, 1958
9. सं० 106-सी०शु०, तारीख 29 मार्च, 1958
10. सं० 151-सी०शु०, तारीख 10 मई, 1958
11. सं० 259-सी०शु०, तारीख 11 अक्टूबर, 1958
12. सं० 260-सी०शु०, तारीख 11 अक्टूबर, 1958
13. सं० 261-सी०शु०, तारीख 11 अक्टूबर, 1958
14. सं० 262-सी०शु०, तारीख 11 अक्टूबर, 1958
15. सं० 269-सी०शु०, तारीख 25 अक्टूबर, 1958
16. सं० 271-सी०शु०, तारीख 25 अक्टूबर, 1958
17. सं० 273-सी०शु०, तारीख 25 अक्टूबर, 1958
18. सं० 278-सी०शु०, तारीख 25 अक्टूबर, 1958
19. सं० 276-सी०शु०, तारीख 25 अक्टूबर, 1958
20. सं० 84-सी०शु०, तारीख 13 अगस्त, 1960
21. सं० 117-सी०शु०, तारीख 13 अक्टूबर, 1961
22. सं० 132-सी०शु०, तारीख 9 दिसम्बर, 1961
23. सं० 26-सी०शु०, तारीख 19 फरवरी, 1962
24. सं० 136-सी०शु०, तारीख 29 सितम्बर, 1962
25. सं० 168-सी०शु०, तारीख 8 नवम्बर, 1962
26. सं० 169-सी०शु०, तारीख 8 नवम्बर, 1962
27. सं० 170-सी०शु०, तारीख 8 नवम्बर 1962
28. सं० 43-सी०शु०, तारीख 1 फरवरी, 1963
29. सं० 92-सी०शु०, तारीख 9 मार्च, 1963
30. सं० 180-सी०शु०, तारीख 20 जुलाई, 1963
31. सं० 202-सी०शु०, तारीख 24 अगस्त, 1963
32. सं० 210-सी०शु०, तारीख 7 सितम्बर, 1963
33. सं० 10-सी०शु०, तारीख 16 जनवरी, 1965
34. सं० 163-सी०शु०, तारीख 16 अक्टूबर, 1965
35. सं० 67-सी०शु०, तारीख 30 अप्रैल, 1966
36. सं० 135-सी०शु०, तारीख 20 जून, 1966
37. सं० 174-सी०शु०, तारीख 24 सितम्बर, 1966

38. सं० 85-सी०शु०, तारीख 5 अगस्त, 1967
39. सं० 98-सी०शु०, तारीख 21 जून, 1969
- 40 सं० 107-सी०शु०; तारीख 19 जुलाई, 1969
- 41 सं० 80-सी०शु०, तारीख 29 अगस्त, 1970
- 42 सं० 103-सी०शु०, तारीख 5 दिसम्बर, 1970
- 43 सं० 36-सी०शु०, तारीख 1 मई, 1971
- 44 सं० 84-सी०शु०, तारीख 11 सितम्बर 1971
- 45 सं० 37-सी०शु०, तारीख 18 मार्च, 1972
- 46 सं० 46-सी०शु०, तारीख 25 मई, 1974
- 47 सं० 79-सी०शु०, तारीख 16 अक्टूबर, 1974
48. सं० 27-सी०शु०, तारीख 6 मई, 1975
- 49 सं० 124-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 50 सं० 124-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 51 सं० 127-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 52 सं० 130-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 53 सं० 134-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 54 सं० 141-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 55 सं० 149-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 56 सं० 150-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 57 सं० 157-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 58 सं० 158-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 59 सं० 160-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 60 सं० 161-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 61 सं० 165-सी०शु०; तारीख 2 अगस्त, 1976
- 62 सं० 166-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
63. सं० 173-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
64. सं० 174-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 65 सं० 182-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 66 सं० 182-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 67 सं० 184-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 68 सं० 185-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 69 सं० 186-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
- 70 सं० 187-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976

71. स० 188-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
72. स० 189-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
73. स० 191-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
74. स० 192-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
75. सं० 193-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
76. सं० 194-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
77. सं० 195-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
78. स० 197-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
79. सं० 198-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
80. स० 201-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
81. स० 202-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
82. स० 203-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
83. स० 205-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
84. स० 206-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
85. स० 207-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
86. स० 208-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
87. सं० 209-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
88. स० 210-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
89. स० 211-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
90. सं० 213-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
91. स० 215-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
92. सं० 216-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
93. स० 217-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
94. सं० 218-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
95. स० 220-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
96. सं० 222-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
97. स० 223-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
98. सं० 225-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
99. स० 226-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
100. सं० 229-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
101. सं० 230-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
102. सं० 236-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
103. सं० 237-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976

104. सं० 238-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
105. सं० 241-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
106. सं० 242-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
107. सं० 243-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
108. सं० 246-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
109. सं० 248-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
110. सं० 249-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
111. सं० 250-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
112. सं० 260-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
113. सं० 272-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
114. सं० 288-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
115. सं० 290-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
116. सं० 292-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
117. सं० 294-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
118. सं० 296-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
119. सं० 302-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
120. सं० 309-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
121. सं० 310-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
122. सं० 311-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
123. सं० 313-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
124. सं० 315-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
125. सं० 316-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
126. सं० 319-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
127. सं० 320-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
128. सं० 322-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
129. सं० 324-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
130. सं० 347-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
131. सं० 350-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
132. सं० 388-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
133. सं० 395-सी०शु०, तारीख 2 अगस्त, 1976
134. सं० 4-सी०शु०, तारीख 6 जनवरी, 1977
135. सं० 7-सी०शु०, तारीख 11 जनवरी, 1977
136. सं० 11-सी०शु०, तारीख 15 जनवरी, 1977

137. सं० 23-सी०शु०, तारीख 8 फरवरी, 1977
138. सं० 68-सी०शु०, तारीख 6 जून, 1977
139. सं० 71-सी०शु०, तारीख 18 जून, 1977
140. सं० 72-सी०शु०, तारीख 18 जून, 1977
141. सं० 78-सी०शु०, तारीख 18 जून, 1977
142. सं० 104-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
143. सं० 105-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
144. सं० 124-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
145. सं० 125-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
146. सं० 126-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
147. सं० 127-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
148. सं० 128-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
149. सं० 129-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
150. सं० 130-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
151. सं० 131-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
152. सं० 132-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
153. सं० 133-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
154. सं० 134-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977
155. सं० 135-सी०शु०, तारीख 1 जुलाई, 1977

[सं० 123-सी०शु०/फा० सं० 355/246/77-सी०शु०-1]

G.S.R. 458(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking Wing), No 435-Customs, dated the 12th November, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts and cases of braille watches, solely imported for the manufacture of braille watches, falling within Chapter 91 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon as is in excess of 10 percent *ad valorem*.

Provided that the importer, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand, in respect of such parts as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No 124-Cus/F No 355/247/77-Cus I]

सा०का०नि० 458(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 435 सी०शु० तारीख 12 नवम्बर, 1976 को अधिक्रांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय

91 के अन्तर्गत सम्मिलित और मात्र ब्रेल घड़ियों के निर्माण के लिए आयात की गई ब्रेल घड़ियों के संघटन पुर्जों और केसों को उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक है .

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए श्रावद्ध करता है कि वह पुर्जों की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर समाधान-प्रद रूप में यह साबित नहीं किया गया है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई है, माग पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात करते समय पहले को संदत्त शुल्क के अन्तर के बराबर हो ।

[सं० 124-सी०शु०/फा० सं० 335/247/77-सी०शु०-1]

G S R. 459(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No 442-Customs, dated the 27th November, 1976, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts articles of gift (upto one thousand rupees in value) received by a person belonging to any class of persons specified in the Schedule annexed hereto from any foreign Government and imported by the said person into India as part of his baggage, from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975),

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975,

(i) if a declaration is made in accordance with the provisions of section 77 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962),

(ii) if the said person declares that he is a person belonging to any class of persons specified in the Schedule annexed hereto.

2 Where the value of any such article of gift or the aggregate value of such articles of gift exceeds one thousand rupees, duty shall be levied on such article or articles in respect of so much of such value as is in excess of one thousand rupees

SCHEDULE

(1) Ministers of the Union or of a state or of a Union territory

(2) Persons holding any appointment in any public service or post in connection with the affairs of the Union or of any State, but not being persons appointed in any corporation established by or under any law or owned or controlled by the Government

[No 125-Cus./F No 355/248/77-Cus I]

सा० का० नि० 459(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व तथा बैंकिंग विभाग (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 442-सीमा-शुल्क, तारीख 27 नवम्बर, 1976 को अधिश्चान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी सरकार से प्राप्त और उक्त व्यक्ति द्वारा इसके सामान के भाग के रूप में भारत में आयातित (एक हजार रुपए तक की मूल्य की) उपहार की वस्तुओं को,—

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से ;

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है यदि—

- (i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 77 के उपबन्धों के अनुसार घोषणा की जाती है;
- (ii) उक्त व्यक्ति यह घोषित करता है कि वह उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग का व्यक्ति है।

2 जब उपहार की किसी ऐसी वस्तु का मूल्य या उपहार को ऐसी वस्तुओं का कुल मूल्य एक हजार रुपए से अधिक हो जाता है तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं पर उतने या ऐसे मूल्य की बावत, जो एक हजार रुपए से अधिक है, शुल्क उद्ग्रहीत किया जाएगा।

अनुसूची '

(1) सघ या राज्य या सघ राज्य क्षेत्र के मंत्री।

(2) किसी लोक सेवा में कोई नियोजन या सघ या किसी राज्य के मामलों में सम्बद्ध पद, धारण करने वाले व्यक्ति किन्तु जो किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित, या सरकार के वामिन्वाधीन या उसके द्वारा नियन्त्रित किसी निगम में नियुक्त किए गए व्यक्ति न हो।

[सं० 125-सी०शु० फा० सं० 355 248/77-सीमाशुल्क-1]

G.S.R. 460(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No 13-Customs, dated the 22nd January, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm oil, rapeseed oil, soyabean oil and sun-flower oil, falling within Chapter 15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule

[No 126-Cus /F No 355/249/77-Cus I]

सा० का० नि० 460(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 13 सीमा-शुल्क, तारीख 22 जनवरी, 1977 को अधिकांश करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अर्तगत ताड़ के तेल, स्वेत सरसों के तेल सोयाबीन के तेल और मूजमुखी के तेल को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं० 126-सी०शु० फा० सं० 355 249/77-सीमाशुल्क- 1]

G.S.R. 461(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No 14-Customs, dated the 22nd January 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts palm seeds, rapeseeds, soyabean seeds, sun-flower seed, and groundnut seeds, falling within Chapter 12 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule

[No. 127-Cus /F, No. 355/250/77-Cus. I]

सा० का० नि० 461(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 14-सीमाशुल्क, तारीख 22 जनवरी, 1977 को अधिस्तान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 12 के अन्तर्गत सम्मिलित ताड़ के बीज, मरसो के बीज, सोयाबीन के बीज, सूर्यमुखी के बीज और मूंगफली के बीज को, जब उनका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है ।

[न० 127-सी०शु० फा० सं० 355 250 7-सीमाशुल्क-1]

G.S.R. 462(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 20-Customs, dated the 7th February, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts nylon filament yarn and polyester filament yarn, imported into India under and in accordance with the terms and conditions of an import replenishment licence issued under the Imports (Control) Order, 1955, against exports of—

- (i) nylon filament yarn fabrics, made-up articles, quilted fabrics and quilted blankets, other than hosiery, knitwear and embroidered fabrics;
- (ii) polyester filament yarn fabrics and made-up articles, other than hosiery, knitwear and embroidered fabrics;
- (iii) fabrics, and made-up articles (other than hosiery and knitwear and embroidered fabrics) of mixed yarn of nylon filament and polyester filament,

from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

Provided that the importer produces a certificate from the authority issuing the import replenishment licence or an endorsement by the said authority on the said licence specifying the value of nylon filament yarn or polyester filament yarn or both, as the case may be, allowed to be imported under the said licence against exports of the aforesaid products

[No 128-Cus./F No. 355/251/77-Cus, I]

सा० का० नि० 462(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 20 सीमाशुल्क तारीख 7 फरवरी, 1977 को अधिस्तान्त करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन जारी की गई आयात प्रतिपूर्ति अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण में तथा उसके अधीन भारत में आयात किए गए नायलोन फिलामेंट सूत और पोलिस्टर फिलामेंट सूत को, जो निम्नलिखित अर्थान्ति :—

- (i) नायलोन फिलामेंट सूत के होजियरी, निटवियर और कढ़े हुए कपड़ों से भिन्न, कपड़े, उनसे तैयार वस्तुएं, क्विलटेड कपड़े और क्विलटेड कबल ;
- (ii) पोलिस्टर फिलामेंट सूत के कपड़े और उनसे बनी हुई वस्तुएं, किन्तु होजियरी, निटवियर और कढ़े हुए कपड़ों से भिन्न ;

- (iii) नायलोन फिलामेन्ट और पोलिस्टर फिलामेन्ट के मिश्रित सूत के कपड़े और उससे तैयार की गई वस्तुएं (होजियरी, निटवियर तथा कढ़े हुए कपड़ों से भिन्न) के मुकाबले आयात किया जाए,

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय, समस्त सीमा-शुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता आयात व्यापार नियंत्रण अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति पर पछात्न करने वाले प्राधिकारी से ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत उर्रोक्त उत्पादों के निर्यात के मुकाबले उस नायलोन और पोलिस्टर फिलामेन्ट सूत का मूल्य अनुज्ञात किया गया हो जिस तक उसके आयात की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

[सं० 128-सी०शु०-फा० सं० 355 251/77-सीमाशुल्क-1]

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 25-Customs, dated the 8th February, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm oleine falling within Chapter 15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule

[No 129-Cus /F No 355/252/77-Cus I]

सा० का० नि० 463(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और वैकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 25—सीमा-शुल्क तारीख 8 फरवरी, 1977 को अधिस्तन्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अन्तर्गत सम्मिलित पामओलीन को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से सदाय से छूट देती है।

[सं० 129 सी०शु०-फा० सं० 355/252/77-सीमाशुल्क-1]

G.S.R. 464(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 32-Customs, dated the 11th March, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts cows, heifers, bulls, goats, sheep and pigs, falling under Chapter 1 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the purpose of breeding only, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule;

Provided that the importer shall, before an order for clearance for home consumption is passed by the proper officer, produce a certificate from the Department of Agriculture (Ministry of Agriculture and Irrigation) to the effect that—

- (1) the animals are being imported for breeding,
- (2) the import is a part of breeding plan duly approved by the Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture and Irrigation of the Central Government,
- (3) the animals comply with the health requirements as laid down under the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), and
- (4) the number of animals imported and the minimum standard of production potential are approved by the Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture and Irrigation of the Central Government

[No 130-Cus /F No 355/253/77-Cus I]

सा० का० नि० 464(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 32 सी० शु० तारीख 11 मार्च, 1977 को अधिकांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय-1 के अन्तर्गत सम्मिलित गायो, कलरो, सांडों, बकरियों, भेड़ों और सूअरों का, जब उनका आयात भारत में केवल प्रजनन के प्रयोजन के लिए ही किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु आयातकर्ता, समुचित अधिकारी द्वारा देश के भीतर उपयोग के लिए निकासी आदेश पारित करने से पूर्व, कृषि विभाग (कृषि और सिंचाई मंत्रालय) से निम्नलिखित आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा —

- (1) यह कि पशुओं का आयात प्रजनन के लिए किया जा रहा है ;
- (2) यह कि आयात केन्द्रीय सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित प्रजनन योजना का ही एक भाग है ;
- (3) यह कि पशु, पशुधन, आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) के अधीन अधिकथित स्वास्थ्य अपेक्षाओं के अनुरूप है ; और
- (4) आयात किए गए पशुओं की संख्या और उनकी न्यूनतम उत्पादन क्षमता केन्द्रीय सरकार के कृषि और सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित की गई है ।

[स० 130-सी० शु०-फा० सं० 355/253/77-सीमाशुल्क-1]

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing), No 33-Customs, dated the 11th March, 1977 and No 67-Customs, dated 25th May, 1977 the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts (i) synthetic industrial diamonds (including board), and (ii) industrial diamonds, whether natural or synthetic, in dust or in powder form, falling within Chapter 71 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule as is in excess of 40 per cent *ad valorem*

[No 131-Cus/F. No 355/254/77-Cus I]

सा० का० नि० 465(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 33—सी० शुल्क, तारीख 11 मार्च, 1977 और सं० 67—सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1977 को अधिकांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अन्तर्गत सम्मिलित (i) सश्लिष्ट औद्योगिक हीरो (जिसमें बॉर्न सम्मिलित है) ; और (ii) औद्योगिक हीरों, चाहे प्राकृतिक हों या सश्लिष्ट चाहे बुकनी या चूर्ण के रूप में हों, की जब उनका आयात भारत में किया जाए, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उनपर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक है ।

[स० 131-सीमाशुल्क/फा० सं० 355/254/77-सीमाशुल्क-1]

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 62-Customs, dated the 20th May, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm kernel oil falling within Chapter 15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule as is in excess of 20 per cent *ad valorem*.

[No 132-Cus./F. No 355/255/77-Cus. 1]

सांकांनि० 466(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व तथा बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 62 सीमा-शुल्क, तारीख 20 मई, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अन्तर्गत सम्मिलित ताड़ की गिरी के तेल को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 132 सी.शु. / फा० सं० 355/255/77-सीमाशुल्क-1]

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing) No. 63-Customs, dated 20th May, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coconut oil falling within Chapter 15 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 30 per cent *ad valorem*.

[No. 133-Cus./F. No. 355/256/77-Cus. I]

सां० कां० नि० 467(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 63 तारीख 20 मई, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 15 के अन्तर्गत सम्मिलित खोपरा तेल को, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 133 सी.शु. / फा० सं० 355/256 77-सीमाशुल्क-1]

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing), No. 66-Customs, dated the 20th May, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts any dumper falling within Chapter 87 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975),—

- (a) of which the net weight (excluding pay-load) is more than eight tonnes and which is designed for a pay-load of ten tonnes or more, and
- (b) which is designed for use off the high way, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule as is in excess of 40 per cent *ad valorem*.

[No. 134-Cus./F. No. 355/257/77-Cus. I]

सा० का० नि० 46 8 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 66-सीमाशुल्क, तारीख 20 मई, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 87 के अन्तर्गत सम्मिलित किसी भी डम्पर को—

(क) जिसका शुद्ध भार (अर्जक भार को छोड़कर) आठ टन से अधिक है और जिसे दस टन या उससे अधिक अर्जकभार के लिए बनाया गया है, और

(ख) जिसे राजमार्ग से अन्यत्र उपयोग के लिए बनाया गया है, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक है।

[सं० 134-सीमाशुल्क, फा० सं० 355, 257/77-सीमाशुल्क 1]

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking (Revenue Wing), No 70-Customs, dated the 6th June, 1977, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts computer peripheral devices falling under sub-heading No. (2) of Heading No. 84.51/55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of computer systems to be supplied to educational and research institutions as may be approved in this behalf of the Central Government, from—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975),

subject to the condition that the importer, in each case, proves to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs by the production of a certificate issued by the duly authorised officer to the Government of India in the Department of Electronics that the imported peripheral devices are required for the manufacture of computer systems to be supplied to such educational and research institutions,

[No. 135-Cus /F. No. 355/258/77-Cus 1]

B. C. RASTOGI, Dy. Secy.

सा० का० नि० 46 9 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 70-सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 84.51/52 के उपशीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत सम्मिलित अभिकलित्र पेरीफेरल उपकरणों को, जब उनका भारत में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त यथाअनुमोदित शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं को प्रदाय किए जाने वाली अभिकलित्र पद्धतियों के विनिर्माण के लिए आयात किया जाए—

(i) उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से ; और

(ii) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से,

छूट देती है :

परन्तु यह इस शर्त के अधीन होगा कि वह आयातकर्ता, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सम्पर्कतः प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को पेश करके, सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर का यह समाधान कर दे कि आयातित पेरिफेरल उपकरण ऐसी शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं को प्रदाय किए जाने वाली अधिकलिप्त पद्धतियों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित है।

[सं० 135-सी०शू. 'फा०सं० 355/258/77-सीमाशुल्क 1]

बी० सी० रस्तोगी, उप सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

